न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती पार्थवी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 94 / 17

GCMS Id : 2017 / 00201

1. दिनेश चन्द आत्मज मांगीलाल चतुर्वेदी, निवासी सिविल लाईन्स, कोटा

– (वादी)

बनाम

1. (मृतक) मांगीलाल आत्मज रामा मेहर, सा0 प्रहलादपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादी)

पावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 सीपीसी

दिनांक : 09.12.2022

उपस्थिति : श्री महेश कुमार शर्मा, वादी अभिभाषक
श्री हीरालाल, प्रतिवादी अभिभाषक

निर्णय Order 22 CPC

1- प्रकरण में वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 सीपीसी बाबत बनाये जाने कायम मुकाम प्रतिवादी, न्यायालय हाजा में पेश किया गया।

2- प्रार्थी (वादी) की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि प्रतिवादी मांगीलाल का देहान्त हो चुका है, जिसकी जानकारी अब हुई है। स्व. मांगीलाल के वारिसों में सागर बाई पुत्री तथा रामनिवास व देवीलाल पुत्र है। अतः निवेदन है कि मृतक मांगीलाल के उपरोक्त वारिसान को कायम मुकाम बनाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी मांगीलाल का स्वर्गवास होना तथा स्व. मांगीलाल के तीन वारिस होना स्वीकार है। विशेष कथन में अंकित किया गया कि स्व. मांगीलाल का प्रार्थना पत्र पेश करने के वर्षों पूर्व ही स्वर्गवास हो गया है, जिसकी प्रार्थी को जानकारी रही है फिर भी प्रार्थी ने जान बूझकर मियाद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ अवधि कन्डोन करने का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3- उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के जवाब पेश होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा दोनों प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई –

- प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी मांगीलाल का देहान्त होने की जानकारी होते ही प्रार्थी द्वारा न्यायालय में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था। स्व. मांगीलाल के तीन वारिस है जिनमें एक पुत्री सागर बाई तथा दो पुत्र रामनिवास व देवीलाल है। अतः निवेदन है कि मृतक मांगीलाल के उपरोक्त वारिसान को कायम मुकाम बनाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।
- प्रतिवादी अभिभाषक ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्रानुसार प्रतिवादी मांगीलाल का स्वर्गवास होना तथा स्व. मांगीलाल के तीन वारिस होना स्वीकार है। स्व. मांगीलाल का प्रार्थना पत्र पेश करने के वर्षो पूर्व ही स्वर्गवास हो चुका था। प्रार्थी को इसकी जानकारी भी थी परन्तु उसके द्वारा जान बूझकर मियाद बाहर प्रार्थना पत्र पेश है। साथ ही अवधि कन्डोन करने का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से मियाद बाहर पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुरूप न होने के कारण वाद, वादी अवेट किया जाकर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

9.12.22

DineshChand.Mangilal

4- सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 के अन्तर्गत (मुख्यतः) वादी की मृत्यु होने तथा वाद लाने का अधिकार बचा रहने की स्थिति में उसके विधिक वारिसान रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण की कार्यवाही आगे बढाने सम्बन्धी प्रावधान निर्धारित है। आदेश 22 सीपीसी के अन्तर्गत किसी विचाराधीन प्रकरण के एक या अधिक वादी अथवा प्रतिवादी में से किसी की मृत्यु हो जाने तथा वादाधिकार (Right to sue) समाप्त नहीं होने की स्थिति में मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर आगे की समस्त कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। ऐसी स्थिति में मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के लिये परिसीमा में विधिक प्रक्रिया निर्धारित है। परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 120 तथा 121 ऐसे मामलों में लागू होते है –

(1) अनुच्छेद 120 के अनुसार, संहिता के अधीन मृत वादी के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने के लिये आवेदन करने के लिये परिसीमा की अवधि "नब्बे दिन" है, जो वादी की मृत्यु की दिनांक से आरम्भ होती है।

(2) अनुच्छेद 121 के अनुसार, संहिता के अधीन उपशमन को अपास्त कराने के लिये आवेदन उपशमन की दिनांक से "साठ दिन" के भीतर किया जा सकता है।

इस प्रकार विधिक प्रतिनिधि/यों को प्रतिस्थापित किये जाने के लिये परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 120 लागू होता है। प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में देखा जाये तो वादी और प्रतिवादी दोनों में से किसी ने भी मृतक मांगीलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश नही की गई है और ना ही मृत्यु की दिनांक ही अंकित की गई है। जिससे यह स्पष्ट हो पाना संभव ही नहीं है कि प्रतिवादी की मृत्यु कब हुई। अपने कथन को प्रमाणित करने का दायित्व (Burden of Proof) सम्बन्धित पक्षकार का ही है। मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं करना ही इस बात का द्योतक है कि प्रार्थी (वादी) ने यह प्रार्थना पत्र विधि द्वारा नियत समयावधि के बाद पेश किया गया है, जिसमें शपथ पत्र भी संलग्न नही है। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 121 के अनुसार उपशमन को अपास्त कराने के लिये पृथक से प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। अतः वादी के वारिसान की उपेक्षा के कारण उपशमन अपास्त नहीं किया जा सकता है।

5- सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 3(2) के अनुसार जहॉ विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाता है, वहां वाद का उपशमन वहॉ तक हो जायेगा जहॉ तक मृत वादी का सम्बन्ध है। प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से हम पाते है कि वादी द्वारा अपने खाते दर्ज आराजी का रकबा कम होने तथा उक्त रकबे पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा कर लिये जाने के कथन के आधार पर वादी की आराजी से प्रतिवादी को बेदखल किये जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत यह दावा पेश किया गया है, जिसमें इन्द्राज दुरूस्ती का अनुतोष भी नहीं चाहा गया है। अधिनियम की धारा 89 (इन्द्राज दुरूस्ती) के अनुतोष के बिना वादी, किस प्रकार 183 (बेदखली) का अनुतोष प्राप्त कर सकता है, यह दावे में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि दावे में पेश किसी प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान यह अवश्यक देख लेना चाहिये कि वादी का दावा चलने योग्य है भी या नहीं। प्रस्तुत प्रकरण के वर्तमान राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी में मृतक प्रतिवादी मांगीलाल के एक पुत्र रामनिवास की भी मृत्यु हो चुकी है तथा उसका फोती इंतकाल भी खुल चुका है तथापि वादी की ओर से मृतक रामनिवास के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र और वाद अबेट नहीं किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश ही नहीं किया है।

6- प्रतिवादी मांगीलाल की मृत्यु उपरान्त उसके कायम मुकाम बनाये जाने के लिये पेश प्रार्थना पत्र के विलम्ब के बारे में कोइ स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अब तक के विवेचन से स्पष्ट है कि वादी की मृत्यु के बाद न्यायालय में प्रकरण की नियमित पेशी नियत थी, तब भी प्रतिवादी की मृत्यु सम्बन्धी कोई जानकारी न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाई गई। इस प्रकार परिसीमा अधिनियम का उल्लंघन करने तथा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करने के सम्बन्ध में बताये गये कारण तार्किक और विधिसंगत प्रतीत नहीं होते है। अतः वादी की मृत्यु उपरान्त प्रकरण का वादाधिकार (Right to sue) अभी शेष रहने के बावजूद भी, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 120 के अनुसार उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की निर्धारित अवधि 90 दिन के समाप्त हो जाने तथा अधिनियम के अनुच्छेद 121 के अनुसार 90 दिन की उक्त अवधि की

समाप्ति के 60 दिन के भीतर भी मृतक वादी के कायम मुकाम बनाये जाने का कोई भी आवेदन/प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश नहीं किये जाने के कारण वाद वादी अबेट हो जाने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

7- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 09.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

DineshChand.MangiLal

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी - श्रीमती पारुली, R.A.S.

उपस्थित :-

1. दिनेश चन्द्र आत्मज मांगीलाल चतुर्वेदी निवासी सिविल लाईन्स, कोटा

- (वादी)

बनाम

1. (मृतक) मांगीलाल आत्मज रामा मेहर, ग्राम प्रहलादपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

- (प्रतिवादी)

वाद बाबत : 183 RTA
मुकदमा नम्बर : 94/17
निर्णय दिनांक : 09.12.2022 RCMS Id : 2017/00201

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से दिवंगत वादी एवं प्रतिवादी अभिभाषक की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 सीपीसी की बहस सुनने के बाद आज तारीख 09.12.2022 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती पारुली, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर वादी की मृत्यु उपरान्त प्रकरण का वादाधिकार (Right to sue) अभी शेष रहने के बावजूद भी परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 120 के अनुसार उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की निर्धारित अवधि 90 दिन के समाप्त हो जाने तथा अधिनियम के अनुच्छेद 121 के अनुसार 90 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के 60 दिन के भीतर भी मृतक वादी के कायम मुकाम बनाये जाने का कोई भी आवेदन/प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश नहीं किये जाने के कारण वाद वादी अबेट हो जाने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।
* उभय पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज तारीख 09 दिसम्बर, 2022 को लिखवाई और हस्ताक्षरित कराई जाकर न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(श्रीमती पारुली)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

वाद का खर्चा

	वादी	रूपया		प्रतिवादी	रूपया
1	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3	अवसरों के लिये स्टाम्प		3	प्लीडर के लिये फीस	
4	...... रुपये पर प्लीडर की फीस		4	साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	
5	साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय		5	आदेशिका की तामिल	
6	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6	कमिश्नर की फीस	
	जोड़			जोड़	